विषय :– प्रेरणा योजना बाबत्।

भारत शासन द्वारा गठित जनसंख्या स्थिरता कोष, का उद्देश्य सन् 2045 तक जनसंख्या स्थिर करना है। मध्यप्रदेश शासन, लोक-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भी इस उद्देश्य हेतु प्रयासरत है।

इसी तारतम्य में प्रदेश में **प्रेरणा योजना** का शुभारंभ दिनांक 30 मार्च 2010 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया, जिसमें 22 ऐसे प्रेरणा दम्पतियों को सम्मानित किया गया जिन्होंने उस समय में जिम्मेदार अभिभावकता का निर्वहन करते हुए प्रेरणा योजना के माण्दण्डों के अनुरूप जनसंख्या स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया जबकि प्रेरणा योजना प्रारंभ भी नहीं हुई थी। इसी के साथ 01 अप्रैल 2010 से समूचे प्रदेश में प्रेरणा योजना को लागू करने एवं वर्ष 2010–11 को **परिवार कल्याण वर्ष** के रूप में मनाने की औपचारिक घोषणा भी मुख्यमंत्रीजी द्वारा की गई।

प्रेरणा योजना गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले दम्पत्तियों को निम्नानुसार प्रोत्साहित करने का अवसर देती है –

- महिला का विवाह 19 वर्ष या इससे अधिक उम्र में होने के साथ ही प्रथम संतान विवाह के दो वर्ष पश्चात, संतान बेटी होने पर रू. 12000 एवं बेटा होने पर रू. 10000 का किसान विकास पत्र दिया जाता है। (योजना हेतु महिला की अधिकतम आयु 30 वर्ष)
- द्वितीय संतान, प्रथम संतान के जन्म के तीन वर्ष पश्चात, बेटी होने पर रू. 7000 एवं बेटा होने पर रू. 5000 का किसान विकास पत्र, द्वितीय संतान के जन्म के एक वर्ष के अन्दर पति या पत्नी द्वारा परिवार नियोजन ऑपरेशन करवा लेने पर दिया जाता है। जिसका वित्तीय प्रबंधन जनसंख्या स्थिरता कोष, भारत शासन द्वारा किया जाता है।

योजना हेतु चयनित महिला के विवाह का पंजीयन एवं दोनों संतानों के जन्म का पंजीयन आपके मातहत अधिकारी (नायब तहसीलदार/एस.डी.एम.) द्वारा किये जाने पर ही मान्य होगा। प्रेरणा दंपत्ति के चयन का कार्य स्वयं सेवी संस्था के माध्यम से करवाये जाने पर संस्था को प्रति दंपत्ति रू. 500/– जनसंख्या स्थिरता कोष द्वारा दिया जाना प्रावधानित है।

आपसे अपेक्षा है कि आप सभी अपने जिलों में प्रेरणा दम्पत्तियों को चिन्हित कर समारोह पूर्वक सम्मानित करने की प्रक्रिया जारी रखेंगे।